न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 284/2024
अनवान : –

1. छगन लाल पुत्र श्री हनुमान जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. कमला पुत्री हनुमान जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
2. सावत्री पुत्री हनुमान जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उतरादा तहसील
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांकः 03/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा ललाना बास उतरादा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 287/286 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 9.1040 है0 भूमि में से 2/15 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा ललाना बास श्योपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत के खाता संख्या 2072–2075 के खाता संख्या 169/169 के खसरा नं. 47 की कुल तादादी 2.4610 है0 भूमि में से 1/15 हिस्सा भूमि वादी के भाई मोहनलाल पुत्र हनुमान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी के भाई मोहनलाल पुत्र हनुमान का स्वर्गवास हो चुका है तथा मोहनलाल की पत्नी खीवणी का भी स्वर्गवास हो चुका है जिनके कोई संतान नहीं है तथा वादी की बहिन इन्द्रा पुत्री हनुमान का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी के माता–पिता भी फौत हो चुके है इसलिए मृतक मोहनलाल के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा हैं। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्यिों के सामने अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार से प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त दोनो खातो की भूमि में वादी अकेला काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:14:26 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि ... के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो वह ... आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण हनुमान, मृत्यु प्रमाण पत्र इन्द्रा, मृत्यु प्रमाण पत्र मोहनलाल, शपथ पत्र बाबत सदस्य, वारिस प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के भाई मोहनलाल के नाम दर्ज है। वादी के भाई मोहनलाल का स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी की एक बहिन इन्द्रा का भी स्वर्गवास हो चुका है। मोहनलाल लावल्द हो चुका है तथा मोहनलाल की पत्नी का भी देहांत हो चुका है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत केवल वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ही मोहनलाल के जायज वारिस है जो की उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने उक्त वाद भूमि में अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललाना बास उतरादा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 287/286 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 9.1040 है0 भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा ललाना बास श्योपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 169/169 के खसरा नं. 47 की कुल तादादी 2.4610 है0 भूमि में से 1/15 हिस्सा भूमि वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:14:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भाई मोहनलाल पुत्र हनुमान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के भाई के नाम दर्ज है। वादी के भाई मोहनलाल का स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी की एक बहिन इन्द्रा का भी स्वर्गवास हो चुका है। मोहनलाल लावल्द हो चुका है तथा मोहनलाल की पत्नी का भी देहांत हो चुका है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत केवल वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ही मोहनलाल के जायज वारिस है जो की उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने उक्त वाद भूमि में अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक मोहनलाल के अन्य कोई भी वारिसा नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललाना बास उतरादा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 287/286 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 9.1040 है0 भूमि में से 2/15 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा ललाना बास श्योपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत के खाता संख्या 2072–2075 के खाता संख्या 169/169 के खसरा नं. 47 की कुल तादादी 2.4610 है0 भूमि में से 1/15 हिस्सा भूमि में मोहनलाल पुत्र हनुमान का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:14:26 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 284/2024

अनवान : –

1. छगन लाल पुत्र श्री हनुमान जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. कमला पुत्री हनुमान जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
2. सावत्री पुत्री हनुमान जाति जांगिड़ निवासी ललाना बास उतरादा तहसील
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 284 सन 2024 निर्णय दिनांक – 03/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललाना बास उतरादा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 287/286 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 9.1040 है0 भूमि में से 2/15 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा ललाना बास श्योपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत के खाता संख्या 2072–2075 के खाता संख्या 169/169 के खसरा नं. 47 की कुल तादादी 2.4610 है0 भूमि में से 1/15 हिस्सा भूमि में मोहनलाल पुत्र हनुमान का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:14:26 IST
Reason: SelfAttested